an>

Title: Need to protect the interests of small catering vendors in the Railways catering policy 2017.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) ः कई वर्षों से देशभर के रेलवे स्टेशनों पर दिन-रात कार्यरत लाखों चाय वेंडर और खान-पान के छोटे लाइसेंसधारी यात्रियों की सेवाओं में लगातार जुटे रहते हैं। विषम परिस्थितियों में ये वेंडर यात्रियों की सराहनीय सेवा करते हैं, लेकिन 2017 खान-पान नीति के कारण उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन छोटे वेंडरों के हितों की रक्षा अति आवश्यक है। पहले समयबद्ध तरीके से इनके लाइसेंसों का नवीनीकरण हो जाता था, लेकिन वर्ष 2010 से ऐसा नहीं हो रहा है। 2017 नीति के कारण लगभग 80 प्रतिशत वाराणसी एवं 60 प्रतिशत आगरा में छोटे लाइसेंसधारियों का रोज़गार छिन गया है और अन्य डिवीजनों पर इन लाइसेंसधारियों पर रोजी-रोटी का खतरा मंडरा रहा है और ये आज भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे हैं। इसलिए, खान-पान नीति 2017 की खामियों को दूर कर इन्हें बचाया जा सकता है। 2017 नीति के अनुसार छोटे वेंडरों से रोजी-रोटी का साधन छीन कर बड़े ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन छोटे वेंडरों को बचाने को कई बार रेलवे को पत्र एवं ज्ञापन सौंपे गये हैं, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि खान-पान नीति 2017 की खामियों को दूर कर इन छोटे वेंडरों, लाइसेंसधारियों को बचाया जाये।